**संख्या-98/2018/3582/सैंतीस-2-2018-1(14)/2018**

प्रेषक,

**डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,**
**प्रमुख सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा में,

**निदेशक,**
**रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,**
**पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।**

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-14 नवम्बर, 2018

विषयः- **डिजीज फ्री जोन की स्थापना (एफ.एम.डी.सी.पी.) (60 प्रति.के.पो.)-टी.एस.पी. योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-295/सा0-1/एक्स-160/एफ.एम.डी.-सी.पी./एस.टी.ए.पी./2018-19, दिनांक-10.09.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-05-डिजीज फ्री जोन की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश में राज्यांश की धनराशि सम्मिलित करते हुए कुल रू0-491.67 लाख (रूपये चार करोड़ इक्यान्नवे लाख सरसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

| **मानक मद** | **स्वीकृत धनराशि (लाख में)** |
|---|---|
| 04-यात्रा व्यय | 6.00 |
| 07-मानदेय | 10.00 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 5.00 |
| 18-प्रकाशन | 0.60 |
| 19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 0.60 |
| 39-औषधि तथा रसायन | 6.00 |
| 42-अन्य व्यय | 6.00 |
| 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 448.97 |
| 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 7.00 |
| 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 1.50 |
| **योग-** | **491.67** |

**(रूपये चार करोड़ इक्यान्नवे लाख सरसठ हजार मात्र)**

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानकों/अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों में गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल ट्राईबल सब प्लान हेतु किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेगे कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(7) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय करते समय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के अधीन लेखाशीर्षक-"2403-पशुपालन-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-05-डिजीज फ्री जोन की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.)" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-794/दस-2018, दिनांक-05.11.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)**
प्रमुख सचिव।

**<u>पृ0सं0-98/2018/3582(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक ।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मँत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(डा0 प्रहलाद बरनवाल)**
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in